कार्यालय उप वन संरक्षक भू संरक्षण करौली

वन भूमि अनारक्षण हेतु वन विभाग को देय राशि

कार्य का नामः— खोह सिंचाई परियोजना

स्थानः— ग्राम खोह, तहसील सपोटरा, ग्राम पंचायत खोह

अनारक्षण की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफलः— 18.54 है0
यूजर एजेन्सीः— जल संसाधन विभाग खण्ड करौली

राशि का विवरण

विवरण	दर	कुल राशि	टिप्पणी
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि	रू. 49500 प्रति है0	917730 नौ लाख सतरह हजार सात सौ तीस	पृथक ड्राफ्ट
शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0)	रू. 920000 प्रति है0	17056800	पृथक ड्राफ्ट
भूमि पर खडी वन संम्पदा की कीमत	रू. 130 प्रति क्वि0	277000	पृथक ड्राफ्ट
	योगः—	18251530	

अक्षरेंः— एक करोड़ बयासी लाख इक्यावन हजार पाँच सौ तीस मात्र।

नोटः— तीनों मद का अलग—अलग बैंक ड्राफ्ट भिजवाया जावें।

उप वन संरक्षक
भू संरक्षण, करौली

D:\My Doc\Mining\Raj 1.doc

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड करौली

नांक:– 346-48 दिनॉक :– 24-4-08

वन संरक्षक
संरक्षण, करौली।

विषयः– जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपवन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण एवं मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) भारत सरकार, लखनऊ के पत्रांक 8 /राज/02/18/2005/एफ.सी./1217 दिनॉक 21.11.06 के द्वारा खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 है0 वन भूमि के प्रत्यार्वतन की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तो के साथ गई थी। दी गई शर्तो की पालना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित की जाने वाली 18.54 है0 वन भूमि के समतुल्य गैर वनभूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करा दिया गया है। जमाबन्दी एवं नक्शा संलग्न है।

2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 9,17,730/– (नो लाख सत्तरह हजार सात सौ तीस मात्र) इस कार्यालय के द्वारा जरिये बैकर्स चैक संख्या 827189 दिनॉक 29. 3.08 के द्वारा भुगतान करा दिया गया है।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भुगतान कर दिया गया है।
4. इस कार्यालय द्वारा निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया है–
   (i) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रू0 9,17,730/– वैकर चैक सं0 827189/29.3.08
   (ii) शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) रू0 1,70,56,800/– वेकर चैक सं0 827190/29.3.08
   (iii) भूमि पर खडी वन सम्पदा की कीमत रू0 2,77,000/– वैकर चैक स0 827191/ 29.3.08

   कुल योग रू0 1,82,51,530/–

   (रूपये एक करोड बयासी लाख इक्यावन हजार पॉच सौ तीस मात्र)
5. बिन्दु संख्या 4 के अनुसार भुगतान करा दिया गया है।

(1) जमाबन्दी एवं नक्शा
(2) a

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड करौली

क्रमांकः– दिनॉकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है –
1. श्रीमान नोडल अधिकारी एवं अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) वन विभाग, वन भवन वानिकी पथ, जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड करौली

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता , जल संसाधन खण्ड करौली

दिनांक: 6-10-08

क्रमांक- अ.अ./तक/ 4165-4170A

[illegible] नोडल अधिकारी एवम्
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)
वन विभाग, वन भवन, वानिकीय पथ, जयपुर राजस्थान ।

विषय:-- जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यर्पण।
प्रसंग:-- भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र)लखनऊ के कमांक: 8--बी/राज/02/18/2005/एस.सी./1217 दि0 21.11.06 के कम में।

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप--3) विभाग के पत्र कमांक:प.06(176) [illegible]/3/03 जयपुर दिनांक 10.6.04 के द्वारा ग्राम खोह तहसील सपोटरा में स्थित भूमि ख0नं0 355/1 में [illegible].06 बीघा भूमि तहसीलदार सपोटरा की उपस्थिति में मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सपोटरा को दिनांक 21.8.08 को सभलाकर मौका रिपोर्ट राजस्व नक्शे की प्रति तथा सम्बन्धित खसरा नम्बरों की नकल जमाबन्दी, नामान्तरण की तहसीलदार सपोटरा द्वारा प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible] है। इस सम्बन्ध में उप वन संरक्षक भू संरक्षण करौली से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार यह प्रकरण [illegible] में उनके कार्यालय के कार्यक्षेत्र से बाहर है एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही आपके कार्यालय से होना अवगत कराया है। मांग के अनुसार विभिन्न मद यथा एन.पी.वी. मूल्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण [illegible] भूमि पर खडी बन संपदा की कीमत हेतु राशि 1,82,51,530/-- रू0 मात्र का भुगतान उप. वन संरक्षक [illegible] संरक्षक करौली को अलग--अलग डिमांड ड्राफ्टों (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 29.3.08 को कर दिया गया है।

अतः भारत सरकार के पत्रांक 8--बी/राज/02/18/2005/एस.सी./1217 दिनांक 21.11.06 [illegible] जारी शर्ताधीन स्वीकृति के बिन्दू सं. 4 में अधिरोपित शर्त के सम्बन्ध में निवेदन है कि विभाग के द्वारा [illegible] सिचाई परियोजना के लिये परेषन लाईन का उपयोग नही किया जावेगा। सलंग्न शपथ पत्र के अन्य बिन्दुओं के इस आशय की भी समाविष्टी कर दी गई है। निवेदन है कि अन्तिम स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को शीध्र भिजवाने का कष्ट करे ताकि माननीय मुख्यमन्त्री महोदया, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में सम्मिलित परियोजना को समयबद्ध पूर्ण कर जनता को अपेक्षित लाभ पहुँचाया जा सके।

[illegible]
01. शपथ पत्र
02. इस कार्यालय का कमांक 9551--52 दि.31.3.08
03. डी.डी. की छायाप्रतियाँ।
04. भूमि हस्तान्तरण रिपोर्ट
05. राजस्व नक्शा
06. नकल जमाबन्दी
07. नामान्तरकरण

अधिशाषी अभियन्ता,
o/c जल संसाधन खण्ड करौली
दिनांक: 6-10-08

कमांक: 4165-4170A

प्रतिलिपि सूचनार्थ :--

01. श्रीमान मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर।
02. श्रीमान अति0मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग सम्भाग जयपुर।
03. श्रीमान् जिला कलक्टर करौली।
04. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त जयपुर।
05. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उप खण्ड सपोटरा।
06. उप वन संरक्षक भू संरक्षण करौली को उनसे दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में उचित अग्रिम कार्यवाही हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता,
o/c जल संसाधन खण्ड करौली

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, करौली

दिनांक :

क्रमांक : अ.अ. / तक. /

श्रीमान नोडल अधिकारी एवं
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन सरंक्षण)
वन विभाग, वन भवन, वानिकी पथ
जयपुर(राज0)।

विषय – जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यार्पण ।

प्रसंग – इस कार्यालय के पत्रांक अ.अ. / तक. / 4165–70 दि0 6.10.08, 5670–73 दि0 30.11.11 एवं 6259–62 दि0 26.12.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना हेतु 18.54 हैक्टर वन भूमि का प्रत्यार्पण के सम्बन्ध में प्रकरण के साथ शपथ पत्र, रू0 182.[illegible] लाख की डी.डी. की छाया प्रति, भूमि हस्तान्तरण रिपोर्ट, राजस्व नक्शा, नकल जमाबन्दी एवं नामान्तकरण प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि कृपया वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी से जारी कराने की कृपा करे ताकि परियोजना का कार्य शीध्र पूर्ण कराया जा सके किन्तु आज तक श्रीमान के कार्यालय से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नही हुई है ।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त 18.54 हैक्टर वन भूमि की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी से शीघ्र दिलाने की कृपा करें ताकि परियोजना के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नही आये ।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड करौली

दिनांक 2/1/12

क्रमांक : अ.अ. / तक. / 6475–77

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, करौली ।
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, जयपुर ।
3. उप वन सरंक्षक, भू सरंक्षण, करौली ।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड करौली

3749/12

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक (द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

क्रमांकः एफ ( ) एफसीए / उवसं / 2016–17 दिनांक

निमित्,

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक
अरण्य भवन राजस्थान जयपुर।

विषयः- जिला करौली में खोह सिंचाई परियोजना में निरस्त की गयी सैंद्धान्तिक स्वीकृति को रिओपन कर अन्तिम स्वीकृति जारी कराने बाबत्।

संदर्भः– अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड करौली के पत्र क्रमांक :– तक / 2016 / 2604 दिनांक 16.08.16.
(श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) अरण्य भवन को प्रष्ठाकिंत किया गया है।)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वास्तविक स्थिति आपके ध्यान में लाते हुए निवेदन है कि,

(1) यह कि खोह सिंचाई परियोजना, जिला करौली की सैद्धान्तिक स्वीकृति उप वन संरक्षक, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक :– 8बी / राज. / 02 / 18 / 2005 / एफ.सी. / 1217 दिनांक 21.11.2006 से प्रदान की गयी थी।
प्रति संलग्न –(1)

(2) यह कि श्रीमान उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) के पत्र क्रमांक :–8बी / राज. / 02 / 18 / 2005 / एफ.सी. / 1415, दिनांक 21.12.2006 के द्वारा सैंद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की पूर्ती यूजर ऐजेन्सी से चाही गयी। प्रति संलग्न –(2)
बिन्दु संख्या 1 से जारी पत्र दिनांक 21.11.2006 में पालना हेतु निम्न लिखित शर्तों अधिरोपित की गयी,

1. राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित की जाने वाली 18.54 हैक्टर वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
2. याचक विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 18.54 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धन राशि जमा की जायेगी।
3. राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धन राशि को संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी / उप वन संरक्षक को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
4. याचक विभाग पारेषण लाइन के नीचे उचित संख्या में गिने वृक्षों हेतु राशि वन विभाग में जमा करेगा।
5. याचक विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202 / ——— के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य के अन्तर्गत निर्धारित राशि सम्बद्ध कोष में जमा करेगा और बाद में याचक विभाग इस राशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं योजना संख्या (Compensatory Afforestration management and Planning Agency) को हस्तान्तरित करेगी।

T/S
18/11/2016
EE

(3) उक्त शर्तों की अनुपालना में याचक विभाग (यूजर ऐजेन्सी) द्वारा शर्तों की पालना कर, पत्र क्रमांक :– 4165–70 दिनांक 06.10.2008 से अनुपालना रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) जयपुर राजस्थान को प्रस्तुत कर अन्तिम स्वीकृति जारी करने के लिऐ निवेदन किया गया। संलग्न – (3)

(इसी की निरन्तरता में यूजर ऐजेन्सी (अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड करौली, द्वारा

1. पत्र क्रमांक :– 5670–73 दिनांक 30.11.2011.
2. पत्र क्रमांक :– 6259 दिनांक 26.12.2011.
3. पत्र क्रमांक :– 6474 दिनांक 02.01.2012.

एवं अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत जयपुर के पत्र क्रमांक :– 1714 दिनांक 12.12.2011द्वारा श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) जयपुर को स्मरण पत्र जारी कर अन्तिम स्वीकृति जारी करने हेतु निवेदन किया गया।

(4) यूजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में दर्ज शर्तों की पालना निम्न प्रंकार से की गयी हैं।

4.1. कि प्रत्यावर्तित की जाने वाली 18.54 हेक्टर फारेस्ट लैन्ड के समतुल्य गैर वन भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम करा दिया गया हैं। एवं दिनांक 21.08.2008 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, सपोटरा को तहसीलदार सपोटरा द्वारा मौके पर कब्जा सभलवां दिया गया हैं।

4.2. विभाग द्वारा उप वन संरक्षक, भू–संरक्षण, करौली को क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु राशि रू. 917730, एन.पी.वी. राशि रू. 277000 कुल राशि रू. 18251530 के डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 29.03.2008 द्वारा जमा कराई जा चुकी हैं।

प्रति संलग्न –

4.3. एवं विभाग द्वारा परेषण लाइन का उपयोग परियोजना निर्माण में नहीं लिया जायेगा हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं। प्रति संलग्न –

4.4. **इसी क्रम में इस कार्यालय से पत्र क्रमांक :– एफ ( ) एफ.सी.ए./उ.व.सं./10/655–68 दिनांक 09.02.2011 को श्रीमानजी को प्रेषित किया जा चुका हैं।** प्रति संलग्न :–

(5) यूजर ऐजेन्सी (याचक विभाग) द्वारा निवेदन किया गया हैं, कि उसके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में दर्ज समस्त शर्तों की पालना कर दिनांक :– 06.10.2008 को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), अरण्य भवन, जयपुर को सूचित किया गया जा चुका, इसके उपरान्त भी अन्तिम स्वीकृति नही प्राप्त होने के कारणों से अवगत करने का कष्ट करावें ताकि यूजर ऐजेन्सी उनकी पूर्ती की जा सकें।

श्रीमान को वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुऐ निवेदन हैं कि पत्रावली निस्तारण हेतु संबंधित नोडल अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(उपेन्द्र मिश्रा)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

क्रमांकः एफ ( ) एफसीए / उवसं / 2016–17 5813-15 दिनांक 16/11/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए., राज0 जयपुर।
2. वन संरक्षक एव क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन, करौली को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख हैं, कि आपका पत्र मय टिप्पणी उच्च कार्यालय को अन्तिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा हैं, एवं आपको निर्देशित किया जाता हैं, कि अन्तिम स्वीकृति मिलने तक आप वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य या निर्माण कार्य प्रारम्भ नही करें।

भवदीय

(उपेन्द्र मिश्रा)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक
(द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(1) श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ज.सं. [illegible] जयपुर
(2) श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता ज.सं. वृत्त जयपुर
(3) सहायक अभियन्ता ज.सं. उपखण्ड - [illegible] को भेजकर लेख है

18/11/2016
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन, खण्ड – करौली

2 9 MAR 2008

बैंकर्स चेक
BANKER'S CHEQUE

अनंतरणीय
NONTRANSFERABLE

केवल Pay .... को ही Only

रू.Rs. 27700

रुपये Rupees .... अदा करें।

कृते स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
For State Bank of Bikaner & Jaipur

सहायक / उप प्रबंधक / शाखा प्रबंधक
ASTT/DY. MANAGER / BRANCH MANAGER (S.S.)

ब.पन्ना L.F.		आद्याक्षर INITIALS	

VALID FOR SIX MONTHS ONLY FROM THE DATE OF ISSUE

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
State Bank of Bikaner and Jaipur

शाखा/Branch KARAULI - 1076

R/BH

827191

---

29 MAR 2008

बैंकर्स चेक
BANKER'S CHEQUE

अनंतरणीय
NONTRANSFERABLE

केवल Pay .... को ही Only

रुपये Rupees .... अदा करें।

रू.Rs. 17056800

कृते स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
For State Bank of Bikaner & Jaipur

ब.पन्ना L.F.		आद्याक्षर INITIALS	

VALID FOR SIX MONTHS ONLY FROM THE DATE OF ISSUE

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
State Bank of Bikaner and Jaipur

सहायक / उप प्रबंधक / शाखा प्रबंधक
ASTT/DY. MANAGER / BRANCH MANAGER (S.S.)

शाखा/Branch

R/BH KARAULI - 1076

827190

---

29 MAR 2009

बैंकर्स चेक
BANKER'S CHEQUE

अनंतरणीय
NONTRANSFERABLE

केवल Pay .... को ही Only

रुपये Rupees .... अदा करें।

रू.Rs. 917730

कृते स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
For State Bank of Bikaner & Jaipur

ब.पन्ना L.F.		आद्याक्षर INITIALS	

VALID FOR SIX MONTHS ONLY FROM THE DATE OF ISSUE

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
State Bank of Bikaner and Jaipur

सहायक / उप प्रबंधक / शाखा प्रबंधक
ASTT/DY. MANAGER / BRANCH MANAGER (S.S.)

शाखा/Branch

R/BH KARAULI - 1076